

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 19, बुधवार, शके 1947- सितम्बर 10, 2025 <i>Bhadra 19, Wednesday, Saka 1947- September 10, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज़ार्ये।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 14, 2025

संख्या:02/भू.अ./ज.स./2023/1265-1269:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Isarda Dam Project Phase II RL 262 meter के लिए भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता पुनर्वास खण्ड ईसरदा परियोजना, टोंक को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली होंगे।

विवरण

”Isarda Dam Project Phase II RL 262 meter” हेतु भूमि अवाप्ति/अधिग्रहण की जाने वाली भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव

क्र.सं	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	ईसरदा बांध परियोजना टोंक	हयातपुरा	अरनियाकेदार	टोंक	टोंक	अतिरिक्त
2		अरनियातिवाड़ी	अरनियाकेदार	टोंक	टोंक	कलेक्टर
3		ककराज खुर्द	हाड़ीकलां	पीपलू	टोंक	(पुनर्वास)
4		ककराज कलां	हाड़ीकलां	पीपलू	टोंक	एवं भूमि

5	गहलोद	गहलोद	पीपलू	टोंक	अवाप्ति
6	सोहेला	सोहेला	पीपलू	टोंक	अधिकारी
7	सवाई	अरनियाकेदार	टोंक	टोंक	बीसलपुर
8	वजीरपुरा	ताखोली	टोंक	टोंक	परियोजना
9	खेडूलिया	डरडातुर्की	पीपलू	टोंक	देवली
10	जेबड़िया	सोहेला	पीपलू	टोंक	
11	बोरखण्डी खुर्द	सोहेला	पीपलू	टोंक	
12	भांची	देवली	टोंक	टोंक	
13	मेहगांव	कस्बा टोंक	टोंक	टोंक	
14	शयोपुरी	सोरन	टोंक	टोंक	
15	ठीकरीया	सोरन	टोंक	टोंक	
16	अरनियाकेदार	अरनियाकेदार	टोंक	टोंक	
17	कस्बा टोंक	टोंक	टोंक	टोंक	
18	बालापुरा	देवपुरा	टोंक	टोंक	
19	रऊफपुरा खेडा	देवपुरा	टोंक	टोंक	
20	बिठोला	देवपुरा	टोंक	टोंक	
21	देवपुरा	देवपुरा	टोंक	टोंक	
22	चूरिया	देवपुरा	टोंक	टोंक	
23	करीरिया	देवपुरा	टोंक	टोंक	
24	अहमदपुरा चौकी	हरचन्देड़ा	टोंक	टोंक	
25	संग्रामपुरा	रूपवास	उनियारा	टोंक	
26	गुदलिया	रूपवास	उनियारा	टोंक	
27	कल्याणपुरा	रूपवास	उनियारा	टोंक	
28	रूपवास	रूपवास	उनियारा	टोंक	
29	गोपालपुरा	रूपवास	उनियारा	टोंक	
30	बनेठा	बनेठा	उनियारा	टोंक	
31	मीणों की झोपड़ी	बनेठा	उनियारा	टोंक	
32	सोलपुर	ईसरदा	चौथ का बरवाड़ा	सवाईमाधोपुर	
33	रायपुर	ईसरदा	चौथ का बरवाड़ा	सवाईमाधोपुर	
34	चौकड़ी	ईसरदा	चौथ का बरवाड़ा	सवाईमाधोपुर	
35	ईसरदा	ईसरदा	चौथ का बरवाड़ा	सवाईमाधोपुर	
36	चिरौज	देवली	टोंक	टोंक	
37	देवली	देवली	टोंक	टोंक	

38		सीतारामपुरा	मण्डावर	टोंक	टोंक	
39		मण्डावर	मण्डावर	टोंक	टोंक	

फार्म -2

(देखे-नियम -5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशायी अभियन्ता पुनर्वास खण्ड ईसरदा परियोजना, टोंक
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	”Isarda Dam Project Phase II RL 262 meter” हेतु भूमि अवाप्ति/अधिग्रहण
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई सुनवाईयां भी दें।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/ या भू स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।)	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान इस आध्य का कथन की प्रपीडन या धमी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएंगे।	हां
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशायी अभियन्ता पुनर्वास खण्ड ईसरदा परियोजना टोंक

मुकेश कुमार गुप्ता,

उप सचिव एवं प्रावै. सहा.

वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।